

सं. बी-11015/3/2002-स्था. (कल्याण) (कंप्यू. नं. 324380)
Government of India भारत सरकार
Ministry of Ports, Shipping and Waterways/ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
(Establishment Section) (स्थापना अनुभाग)

425 परिवहन भवन 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
तारीख: 18 सितंबर 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में यौन उत्पीड़न पर आंतरिक शिकायत समिति के पुनर्गठन के संबंध में।

इस मंत्रालय के दिनांक 03.07.2023 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में, इस मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए जिसका गठन इस प्रकार होगा:-

क्र. सं.	नाम (श्री/श्रीमती)	पदनाम	आ. शि. स. में पदनाम	संपर्क सं.	ई-मेल पता
1	के. एस. गीता	अवर सचिव	अध्यक्ष	9968291221	ks.geetha@nic.in
2.	अनिता भुटानी	पीपीएस	सदस्य	9899197908	anita.bhutani@nic.in
3.	कविता	सहायक निदेशक	सदस्य	9953796232	kavita82@demsme.gov.in
4.	संदीप सैनी	सहायक अनुभाग अधिकारी	सदस्य	9953868799	sandeep.saini@gov.in
5.	स्वास्ति बोरा	सहायक अनुभाग अधिकारी	सदस्य	7838965991	swasti.bora@gov.in
6.	रश्मि मल्होत्रा	ओम फाउंडेशन एनजीओ से सहयोजित सदस्य	सदस्य	21520002	the.om1935@gmail.com

2. इस मंत्रालय की कोई भी महिला कर्मचारी, जिसे यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत है, वह आंतरिक शिकायत समिति के उल्लिखित अध्यक्ष/सदस्य से संपर्क कर सकती है/ उनका अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

3. समिति के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष) और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, समिति के गठन की तारीख से तीन वर्ष तक होगा।

4. आंतरिक शिकायत समिति, यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अनुसार, प्रत्येक वर्ष मंत्रालय को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (प्रतिलिपि संलग्न) को पालन करने और शी-बोक्स पोर्टल (She-Box portal) पर समिति का विवरण एवं शिकायतों की सूचना अपलोड करने का निदेश दिया जाता है।

(सचिन कुमार कटियार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23710363

सेवा में,

1. अध्यक्ष, आंतरिक शिकायत समिति
2. समिति के सभी सदस्य
3. श्रीमती रश्मि मल्होत्रा, ओम फाउंडेशन (गैर सरकारी संगठन), एच-367, तृतीय तल, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 से सह-चयनित सदस्य,
4. सचिव (पीएसएंडडब्ल्यू) के पीपीएस।
5. अतिरिक्त सचिव के पीपीएस।
6. संयुक्त सचिव (पतन)/ संयुक्त सचिव (आईडब्ल्यूटी, प्रशासन और समन्वय)/ संयुक्त सचिव (एसएम)/ परामर्शदाता (सांख्यिकी)/ परामर्शदाता (आर्थिक)/ डीए (पतन)
7. निदेशक/ उपसचिव/अवर सचिव और समकक्ष स्तर के सभी अधिकारी।
8. अनुभाग अधिकारी/सहायक अनुभाग अधिकारी/एमटीएस और समकक्ष स्तर के सभी अधिकारी।
9. मंत्रालय के सभी संविदा/ आउटसोर्स स्टाफ़
10. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड